पर्सपेक्टिव: समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले दो समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

विभिन्न याचिकाओं में क्या मुद्दे उठाए गए हैं?

- **अधिकारों का उल्लंघन:** दो LGBTQ+ जोड़ों द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया है कि राज्य द्वारा उन्हें विवाहित के रूप में मान्यता देने से इनकार करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  - **पहली याचिका:** यह एक जोड़े द्वारा दायर की गई थी जो लगभग एक दशक से साथ हैं।
  - **दूसरी याचिका:** यह एक जोड़े द्वारा दायर की गई थी जो 17 साल से रिश्ते में हैं और साथ में बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हालाँकि, उनकी शादी की स्थिति की कमी इंगित करती है कि वे अपने बच्चों के साथ कानूनी संबंध नहीं रख सकते।
- **अन्य याचिकाएँ:** भारत के वर्ष 1954 के विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली कुछ याचिकाएँ दिल्ली और केरल के राज्य-स्तरीय उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
- **गैर-अपराधीकरण:** समान-लिंग विवाह की मान्यता पहले के ऐतिहासिक फैसलों का पालन करती है, जिसमें निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित करना और दूसरा वर्ष 2018 में समलैंगिकता को गैर-अपराधीकृत करना शामिल है।
  - वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब यह जैविक पुरुष और बच्चे पैदा करने में सक्षम जैविक महिला के बीच हो।
- **सरकार का स्टैंड:** केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि "सामाजिक नैतिकता" के विचार एक कानून की वैधता पर विचार करने के लिये प्रासंगिक हैं और भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति को लागू करना विधायिका का काम है।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 क्या है?

- भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किये जा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा हो।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिये सिविल मैरिज का प्रावधान है, भले ही किसी भी पक्ष द्वारा धर्म या आस्था का पालन किया जाता हो।
- जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है, तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।

भारत में LGBTQ+ समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ क्या हैं?

- **सीमांतीकरण:** LGBTQ+ व्यक्ति सीमांतीकरण के कई रूपों का अनुभव कर सकते हैं - जैसे लिंगवाद, गरीबी, भेदभाव, सामाजिक अस्वीकार्यता या अन्य कारक - होमोफोबिया या ट्रांसफोबिया के साथ जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
  - अक्सर इस तरह के हाशिए पर रहने के कारण LGBTQ+ लोगों को चिकित्सा देखभाल, न्याय और कानूनी सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है।
- **LGBTQ+ बच्चों पर पारिवारिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव:** अस्वीकृति और गंभीर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने कई LGBTQ+ युवाओं को अपने माता-पिता को अपनी भावनाओं के बारे में बताने से रोक दिया।
  - शिक्षा, करियर और विवाह के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के एक कठोर समूह से बंधे समाज में, परिवार के समर्थन की कमी LGBTQ+ लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।
- **शब्दावली की समस्याएँ:** LGBTQ+ लोगों को नकारात्मक रूढ़ियों के साथ लेबल किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे उन्हें सामाजिक स्तर पर मान्यता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत महसूस कराया जाता है।
- **सामाजिक रूप से कोई पहचान नहीं :** स्कूल की वर्दी, ड्रेस कोड और उपस्थिति, यात्रा के लिये पहुंच बिंदु (टिकट बुकिंग फॉर्म, सुरक्षा जांच और

शौचालय सहित) अक्सर लिंग के आधार पर होते हैं।
    - अक्सर LGBTQ+ व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन के दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी लैंगिक पहचान पर बातचीत करने के लिये मजबूर किया जाता है।
    - एक जैविक शब्द के रूप में, लिंग हमेशा पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर होता है। हालाँकि एक सामाजिक श्रेणी के रूप में लिंग भिन्न हो सकता है।

कानूनी रूप से वैध बनाने का मार्ग क्या है?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद, कई लोगों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की दिशा में एक कदम उठाने का सवाल उठाया है।
- SMA एक ऐसा कानून है जिसे मूल रूप से इंटरफेथ यूनियनों को वैध बनाने के लिये पारित किया गया था। अब LGBTQ+ जोड़े तर्क दे रहे हैं कि उनकी शादियों को SMA के तहत मान्यता दी जानी चाहिये।
- हालाँकि भारत में LGBTQ+ समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ी है, फिर भी पूर्ण स्वीकृति कलंक है और इसके प्रति प्रतिरोध है। अब तक दुनिया भर के 33 देशों ने समलैंगिक विवाह और नागरिक संघों (Civil Unions) को मान्यता दी है।
- समान-सेक्स विवाहों को मान्यता न देने के साथ-साथ भारतीय कानून नागरिक संघों के लिये प्रावधान नहीं करता है। 'गे' और 'लेस्बियन' जोड़ों को भारतीय सरोगेट मां की मदद से बच्चे पैदा करने की भी अनुमति नहीं है।
- एक LGBTQ+ व्यक्ति केवल एकल अभिभावक के रूप में गोद लेने के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण समीक्षा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।

भारत में शादियों की स्थिति क्या है?

- विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- हालाँकि भारत में समलैंगिक विवाह को भी वैध नहीं किया गया है।
- यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से कैसे मान्यता दी जा सकती है?

- निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से किसी एक का उपयोग करके समलैंगिक विवाहों की वैधता प्राप्त की जा सकती है:
    - कानूनी रूप से समान लिंग के पार्टनरशिप यूनियनों/संबंधों को वैध बनाने हेतु वर्तमान कानून की व्याख्या करना।
    - LGBTQ+ संस्कृति को एक अलग श्रेणी के रूप में परिभाषित करना, जिनकी मान्यताएँ समान लिंग वालों संबंधों की तरह हों।
    - समान लिंग के बीच विवाह को वैध बनाने के लिये **विशेष विवाह अधिनियम, 1954** में संशोधन किया जा सकता है।

आगे की राह

- **भेदभाव-विरोधी कानून:** LGTBQ+ समुदाय को एक भेदभाव-विरोधी कानून की आवश्यकता है जो उन्हें लैंगिक पहचान या किसी भी प्रकार के लैंगिक झुकाव के बावजूद उत्पादक जीवन और संबंध बनाने के लिये सशक्त बनाए और राज्य, समाज और व्यक्तियों पर भी परिवर्तन का दायित्व डालता है।
- **विशिष्टता का उन्मूलन:** समलैंगिक विवाह की शुरूआत LGBTQ+ लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह के इन रूपों को कम करने में मदद करेगी क्योंकि यह LGBTQ+ लोगों की आधिकारिक "अन्यता" (Otherness) की स्थिति को समाप्त कर देगी।
- **अधिकारों का पूर्ण दायरा:** एक बार LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को "सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त" हो जाए, तो यह संदेह से परे है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौलिक अधिकार समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का इरादा रखने के लिये प्रदान किया जाना है।
- **जागरूकता पैदा करना और LGBTQ+ युवाओं को सशक्त बनाना:** एक खुले और सुलभ मंच की आवश्यकता है ताकि वे अपनी भावनाओं को पहचानने, साझा करने और स्वीकृति हासिल करने में सहज महसूस करें।
    - 'Gaysi' और 'Gaylaxy' जैसे प्लेटफॉर्म ने LGBTQ+ लोगों के लिये बातचीत करने, साझा करने और सहयोग करने के लिये जगह बनाने में मदद की है।
    - प्राइड मंथ और प्राइड परेड इनिशिएटिव भी इसी दिशा में एक अच्छा कदम है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????? ????????

प्र. निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच करें। (वर्ष 2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/perspective-legalising-same-sex-marriage